कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / बजट / बी–1 / 9520 / विविध / 2017–18 / 24 दिनांक 7/9/2017

समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा
अधिकारी पंचायत समिति–

विषयः– माह अगस्त तक की वेतन व्यवस्था।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक शिविरा प्रारं / बजट / बी–1 / 9520 / विविध / 2017–18 दिनांक 28.08.2017

उपर्युक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा माह अगस्त 2017 तक का वेतन दिनांक 01.09.2017 तक आहरित ओर भुगतान करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था तथा दिनांक 01.09.2017 के पश्चात सर्व शिक्षा अभियान की तीनों मद 2202–01–111–01–00, 2202–01–111–02–00, 2202–01–111–03–00 तथा राज्य मद 2202–01–197–01–01,2202–01–197–02–01, 2202–01–197–03–01 में बजट शेष शून्य करने हेतु सूचित किया गया था। इस क्रम में वित विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2017 जिसके तहत वेतन बिलों पर पुन जांच का प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता के कारण हुए विलम्भ को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि अब दिनांक 11.09.2017 तक उक्त मदों में पदस्थापित अध्यापकों / कर्मचारियों का माह अगस्त तक का वेतन अनिवार्य रूप से आहरित कर लिया जाये। इस तिथि के बाद अवशिष्ट बजट प्रत्यारित कर लिया जायेगा और माह अगस्त 2017 तक वेतन आहरण कर वास्तविक खर्च को दृष्टि में रखकर औसत आधार पर आगामी माह के लिए बजट आवंटित किया जायेगा उक्त तिथि तक यदि किसी कार्यालय में माह अगस्त 2017 तक के वेतन का आहरण नहीं किया जाता है तो इसे कार्य के प्रति शिथिलता मानते हुये प्रकरण निदेशक महोदय की दृष्टि में लाया जायेगा।

वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. समस्त उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को संदर्भित पत्र के दिये गये निर्देशों तथा इस पत्र में जिला शिक्षा अधिकारी को दिये गये निर्देशों की अनुपालनार्थ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर